UPVR010067482026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-07/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 01, वाराणसी
प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र सं0 2382/2026

ओम प्रकाश सोनकर पुत्र परमात्मा सोनकर निवासी ग्राम – कोटवा पोस्ट सराय मोहन थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उत्तर प्रदेश व मूल निवासी ग्राम दुरावलखुर्द, पोस्ट राजपुर, तहसील घोरावल जनपद सोनभद्र।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन

अ0सं0 621/2025
धारा-498A IPC & 3/4 D.P. Act
थाना-सारनाथ वाराणसी।

20.07.2026

1. यह **प्रथम** जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **ओम प्रकाश सोनकर** की तरफ से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर अपने शपथ पत्र मे कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त का धारा उपरोक्त में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व प्रार्थी अभियुक्त का धारा उपरोक्त में कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में, माननीय सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में ना दाखिल है, ना विचाराधीन है और ना ही खारिज किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर कथन किया है कि घटना दिनांक 10.01.2024 से अनवरत प्रार्थिनी का पड़ोसी/विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर पुत्र परमात्मा सोनकर निवासी ग्राम दुरावल खुर्द, थाना रावर्टसगंज कोतवाली, जिला सोनभद्र, हालपता- ग्राम कोटवा थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी ने प्रार्थिनी को शादी का झांसा देकर आये दिन प्रार्थिनी के साथ नाजायज शरीरिक सम्बन्ध बनाता था और प्रार्थिनी जब भी विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर से शादी करने के लिए कहती तो टाल-मटोल करता रहता था। इसी दौरान प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी और जब प्रार्थिनी ने गर्भवती होने की बात विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर से कही तो विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम मुझसे खर्चा लेकर अपना एबार्शन

Digitally signed by VIKAS SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 16:25:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करवा लो प्रार्थिनी को विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर की यह बात नागवार गुजरी और प्रार्थिनी ने एबार्शन कराने से इन्कार कर दिया। प्रार्थिनी के साथ विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर जबरदस्ती पहली बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया उस समय मेरी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। उस समय मैं नाबालिग थी मेरी जन्मतिथि 01.01.2007 ई है जब में नाबालिग थी तो विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर ने मुझ प्रार्थिनी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बराबर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहता था। कहता था कि जब तुम बालिग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन आज तक शादी करने से हीला-हवाली करता रहा और विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर कहता है कि मेरे खिलाफ अगर कही शिकायत करोगी तो तुम्हें जबरदस्ती उठा ले जाउंगा और जान से मारकर फेक दूँगा और तुम्हारा कहीं पता नहीं चलेगा। प्रार्थिनी ने दिनाक 26.06.2025 को श्रीमान् थानाध्यक्ष थाना सारनाथ कमिश्नरेट, वाराणसी को प्रार्थना पत्र दिया जिसपर थानाध्यक्ष महोदय ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर सारगनाथ मंदिर वाराणसी में दिनाक 27.06.2025 ई को शादी करा दिया, शादी के बाद लड़की विदा होकर विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर के घर गयी शादी वाले दिन से ही प्रार्थिनी को विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर मारता-पीटता है। कहता है किं मैं नौकरी में हूँ और वो भी पुलिस की नौकरी में हूँ अगर में कहीं और शादी करता तो कम से कम दहेज में 10 लाख रूपया व एक चार पहिया वाहन व सारा साजो सामान लेता लेकिन मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ और मैं तुम्हें अब रखना नहीं चाहता हूँ पुलिस के दबाव से मैं तुमसे शादी किया था लेकिन अब मैं तुम्हारा गर्भपात कराउंगा और तुम्हें कुछ रूपया देकर तुम्हारी शादी किसी दूसरे से करा दूँगा। विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर के उक्त कृत्य से प्रार्थिनी काफी डरी व सहमी हुई है प्रार्थिनी लगभग नौ माह की गर्भवती होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है व दिनांक 28.07.2025 ई को प्रार्थिनी को एक पुत्र पैदा हुआ है। विपक्षी ओम प्रकाश सोनकर आये दिन प्रार्थिनी को मारता-पीटता है और माँ-बहन की भद्दी- भद्दी गाली-गुप्ता देता है और कहता है कि एक न एक दिन तुम्हे व तुम्हारे पुत्र को जान से मार देंगे। प्रार्थिनी दिनाक 23.07.2025 को श्रीमान् पुलिस कमिश्नर महोदय वाराणसी के यहा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दी थी लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर आज तक विपक्षी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी थक हार कर श्रीमान् पुलिस कमिश्नर महोदय वाराणसी को दिनांक 14.08.2025 को अनुस्मारक प्रार्थना पत्र जरिये डाक रजिस्टर्ड प्रेषित करी थी कि विपक्षी के खिलाफ सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज किया जाय। लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर आज तक विपक्षी/मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। विपक्षी/मुल्जिम सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस विभाग में नौकरी करता है व विपक्षी/मुल्जिम

नाबालिग नहीं है। प्रार्थिनी/पीड़िता थक हारकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल कर रही है, ताकि विपक्षी/मुल्जिम के खिलाफ बी.एन.एस. व पोस्को अधिनियम के तहत सम्बन्धित थाने में उक्त घटना के बाबत प्रयम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अभियोजन कहानी का संक्षिप्त कथन एफ.आई.आर के अनुसार है। अभियोजन कहानी बिल्कुल झूठी, फर्जी एवं बनावटी है जिसमें रंच मात्र भी सत्यता नहीं है। कथानक सबूत व कथित बरामदगी बिल्कुल फर्जी, झूठे व बनावटी है। प्रार्थी अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। पहली बार धारा-376(2)(एन), 323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं 5 एल/6, 5 जे (ii)/6 पाक्सो अधिनियम आरोप पत्र प्रेषित किया गया था जिसमे बाद में प्रार्थी अभियुक्त को धारा 498A भा.दं.सं. व 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम में आरोपित किया गया है। जिसके कारण धारा 498A भा.दं.सं. व 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम में प्रार्थी अभियुक्त की जमानत नहीं हो पाई है। प्रार्थी अभियुक्त की धारा-376(2) (एन), 323,504,506 भा.दं.सं. एवं 5 एल/6, 5 जे (ii)/6 पाक्सो अधिनियम में जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2003/2006 ओम प्रकाश सोनकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में जमानत दिनांक 06.07.2026 को स्वीकार किया जा चूका है। धारा 498A भा.दं.सं. 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम में जो अपराध कारित करना कहा गया है वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट/कोई मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय 7 वर्ष तक के दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह सिद्धांत स्थापित किया है कि सात वर्ष तक के सजा से दंडनीय अपराध में अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए। प्रार्थी अभियुक्त कभी किसी जुर्म का भागी नहीं रहा है प्रार्थी अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त लगभग सात माह से जेल में है। प्रार्थी अभियुक्त पता उपरोक्त का स्थाई निवासी है चल अचल संपत्ति का स्वामी है, बाद जमानत प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने की रंच मात्र भी संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रार्थी अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में प्रपत्रो के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी अभियुक्त की धारा-376(2)(एन), 323, 504, 506 भा.दं.सं. एवं 5 एल/6, 5 जे (ii)/6 पाक्सो अधिनियम में जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2003/2026 ओम प्रकाश सोनकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अभियुक्त ओम प्रकाश सोनकर की जमानत दिनांक 06.07.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले मे कोई नया तथ्य प्रकाश मे नही लाया गया है। अभियुक्त पर दौरान विवेचना धारा 498ए व 3/4 डी०पी० एक्ट की बढोत्तरी की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्य धाराओ मे अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दोषी है अथवा निर्दोष इसको विचारण के स्तर पर देखा जा सकता है। अभियोजन की तरफ से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त का उपरोक्त धाराओ मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **ओम प्रकाश सोनकर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं० 2382/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त मामले से संबंधित साक्षियों को प्रभावित या आतंकित नहीं करेगा। .
3. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगा।

दिनांक:20.07.2026

(विकास श्रीवास्तव-।।),
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 07/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो
एक्ट, कोर्ट सं0-1, वाराणसी।
J.O. Code-UP1696

Steno-Aquib